



बिहार स्टेट मिल्क को-ऑपरेटिव फेडरेशन

डेयरी डेवलॉपमेंट कॉम्प्लेक्स, पो0-बी.भी. कॉलेज, पटना-14

दूरभाष-2228953, 2220837, 2224083 फैक्स: 0612-2228306

निविदा-प्रपत्र

नाम :				
पिता का नाम :				
पता एवं दूरभाष संख्या :				
आपूर्ति का दर :	मवेशी	क्रय दर	विक्रय दर	अन्तर
	गाय :-			
	भैंस :-			
	बच्चादानी	आपूर्ति का दर		

निविदादाता का हस्ताक्षर

बिहार स्टेटमिल्क को-ऑपरेटिव फेडरेशन लि०, डेयरी विकास परिसर,

बिहार भेटनरी कॉलेज, पटना-14

नियम एवं शर्तें (कुल दो पृष्ठों में)

- 01- आपूर्ति की गई मवेशी के दर का भुगतान सम्बन्धित विपत्र जमा करने के सात दिन के अन्दर किया जायेगा।
- 02- प्रशिक्षण केन्द्र कार्यालय के आवश्यकतानुसार जब भी मवेशी आपूर्ति करने का आदेश निर्गत होगा तब उक्त आदेश निर्गत तिथि के सात दिनों के अन्दर मवेशी आपूर्ति करना होगा।
- 03- आपूर्ति किए गये मवेशी का वापसी आदेश में जो वापसी तिथि निर्धारित होगा उस तिथि को ही मवेशी वापस ले जाना होगा अन्यथा 150 (एक सौ पचास) रू० प्रतिदिन प्रति मवेशी के दर से आपूर्तिकर्ता को जुर्माना किया जायेगा।
- 04- मवेशी का स्वास्थ्य अच्छा तथा एक या दो बार बच्चा दी हुई होनी चाहिये, इस सम्बन्ध में प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा जॉचोपरान्त मवेशी को रखने की अनुमति दी जायेगी। आवश्यकता पड़ने पर मवेशी को बदलना होगा।
- 05- कार्यक्रम एवं आदेश के अनुसार समय-समय पर गाय एवं भैंस का बच्चादानी आपूर्ति करना होगा।
- 06- मवेशी आदेशानुसार कॉम्पेड परिसर में रखा जायेगा।
- 07- मवेशी आपूर्ति का दर दो वर्ष के लिए स्वीकृत होगा जिसे आवश्यकतानुसार प्रबंध निदेशक की स्वीकृति के पश्चात् दोनों पक्ष के सहमति पर एक-एक वर्ष की अवधि विस्तार दिया जा सकता है।
- 08- जमानतराशि
 - (a) निविदा द्वारा चयनित व्यक्ति को कार्य शुरू करने से पहले जमानत की राशि के रूप में 10,000/- (दस हजार) रू० बिहार स्टेट को-ऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर्स फेडरेशन लि०, पटना के नाम से डिमांड ड्राफ्ट बनाकर जमा करना होगा।
 - (b) जिसपर किसी भी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा।
 - (c) कार्य बिना सूचना के बन्द करने या व्यवधान उत्पन्न होने पर जमानत की राशि जब्त कर ली जायेगी।

क्रमशः.....

09- अग्रधन की राशि

- (a) निविदादाता को निविदा हेतु 1500/- (एक हजार पाँच सौ) रुपये का बैंक ड्राफ्ट जो " बिहार स्टेट मिल्कको-ऑपरेटिव फेडरेशन लि० पटना " के नाम से पटना में भुगतान हो अग्रधन के रूप में जमा करना आवश्यक होगा, जिसपर किसी भी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा।
- (b) निविदा स्वीकार होने पर यदि निविदादाता नियत समय पर कार्य शुरू नहीं करेंगे तो उनकी अग्रधन राशि जब्त कर ली जायेगी अन्यथा अचयनित निविदादाताओं को अग्रधन राशि वापस कर दिया जायेगा।
- (c) अपूर्ण, विलम्ब से अथवा बिना अग्रधन के प्राप्त निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा एवं उसको रद्द माना जाएगा।
- 10- समय पर आपूर्ति नहीं होने पर प्रतिदिन प्रति गाय या भैंस 100/- रुपये भुगतान से कटौती कर ली जायेगी।
- 11- प्रायोगिक सत्र के दौरान मवेशी अस्वस्थ होने पर उसकी खबर दूरभाष के द्वारा दी जायेगी एवं सूचना प्राप्त होने के समय से 6 घंटे के अन्दर मवेशी को ले जाना होगा अन्यथा कोई घटना होने पर कार्यालय जिम्मेवार नहीं होगा।
- 12- निविदादाता को न्यूनतम अनुभव तीन वर्ष होना चाहिये। यह अनुभव केन्द्र, अथवा बिहार सरकार या उसके उपक्रम, सहकारी संस्थान, शिक्षण संस्थान या गैर सरकारी संस्थान का होना चाहिये। निविदादाता इस आशय का प्रमाण पत्र संलग्न करेंगे।
- 13- पैन कार्ड संलग्न किया जाना आवश्यक है।
- 14- निविदा प्रपत्र कॉम्फेड के वेबसाइट www.sudha.coop से डाउनलोड किया जा सकता है।
- 15- निविदा बिहार स्टेट मिल्कको-ऑपरेटिव फेडरेशन लि०, डेयरी विकास परिसर, बिहार भेटनरी कॉलेज, पटना-14 में दिनांक 30.06.2020 के 17:00 बजे तक निबन्धित डाक अथवा कुरियर द्वारा प्राप्त किया जायेगा।
- 16- किसी भी तरह का विवाद होने पर प्रबंध निदेशक कॉम्फेड का अंतिम निर्णय मान्य होगा।

प्रबंध निदेशक

